

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(सुबे सिंह यादव, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

01/20118

मो.शोएब खान पुत्र सइददीन खान निवासी अलीगढ हाल वार्ड नं. 21 गुलजार बाग टोंक

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 28.02.2018

अपील अपीलान्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 07.11.2017 को प्रेषित कर अपीलान्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

- 1—यह है कि दिनांक 23.07.2014 मु०नं० 2513 पत्रावली संख्या 107/2014 सरकार जरिये एस.एच.ओ अलीगढ बनाम खजान सिंह वगैरहा व मो.शोएब खान इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी उक्त पत्रावली की आर्डरशीट मय रिकार्ड के उपलब्ध करावे।
- 2—पत्रावली संख्या 107/2014 व मुकदमा संख्या 2513/2014 मे आज की स्थिति मे किस स्टेज पर चल रहा है इसकी सूचना उपलब्ध करावे।
- 3—उक्त पत्रावली की कार्यवाही रिपोर्ट मय रिकार्ड के उपलब्ध करावे।
- 4—पत्रावली संख्या 107/2014 व मुकदमा संख्या 2513/2014 आगामी तारीख की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा से अपील के संबंध मे जवाब हेतु पत्राक 09 दिनांक 03.01.2018, 122 दिनांक 15.01.2018, 207 दिनांक 25.01.2018, 269 दिनांक 08.02.2018, 290 दिनांक 15.02.2018 व अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 352 दिनांक 21.02.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावे। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।



(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी टोंक